न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः–2014/00122 दर्ज तिथिः–21.01.2014

1. हिमताराम पुत्र बागाराम के कायम मुकाम
   1/1 छगन पुत्री हिमतारा
   जाति भील निवासी डांगरिया तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. चैनाराम पुत्र बागाराम
   जाति भील निवासी डांगरिया तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
2. तहसीलदार गुडामालानी

...............अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री नारायण कुमावत
अप्रार्थीगणः– श्री पूनमाराम विश्नोई

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

<u>–:निर्णयः–</u>

निर्णय तिथिः–28.04.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है
   - कि प्रार्थी को आवंटन परामर्श दात्री कमेटी की अनुशंषा पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा दिनांक 26.10.1977 को मौजा डांगरिया तहसील गुड़ामालानी के खसरा संख्या 189/1/18.15 बीघा भूमि आवंटन कर आवंटित भू–भाग का खसरा संख्या 189/18.15 बीघा कायम कर खेत के पश्चिमी भाग पर कब्जा सुपुर्द किया गया। प्रार्थी आवंटन से आदिनांक तक उसी भू–भाग पर काबिज काश्त है।
   - कि अप्रार्थी संख्या 01 को आवंटन परामर्श दात्री कमेटी की अनुशंषा पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा दिनांक 15.07.1978 को मूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:04 IST
Reason: SelfAttested

खसरा संख्या 189 / 32.03 बीघा भूमि आवंटन की जाकर आवंटित भूमि का पूर्वी दिशा में कब्जा सुपुर्द किया गया था।

- कि अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी आवंटन आदेश की पुश्त पर नक्शा बनाया गया। उक्त नक्शे में प्रार्थी का खसरा संख्या 189 / 1 पश्चिमी सेढे पर तथा अप्रार्थी संख्या 01 का खेत खसरा संख्या 189 पूर्वी सेढे पर है तथा दोनों पक्ष आवंटन की दिनांक से आदिनांक तक इसी अनुसार काबिज काश्त हैं।
- कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम खसरा संख्या 189 / 1 तथा अप्रार्थी संख्या 01 का नाम खसरा संख्या 189 में दर्ज रिकॉर्ड है। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 को आवंटित भूमि की लट्ठा ट्रेस में विपरीत नम्बर कायम कर दिये गये। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के खसरा संख्या 189 / 1 को पश्चिम दिशा के बजाय पूर्व दिशा में तथा अप्रार्थी संख्या 01 के खसरा संख्या 189 को पूर्व दिशा के बजाय पश्चिम दिशा में विपरीत अंकित कर दिया गया। जिससे मौके व राजस्व रिकॉर्ड में भिन्नता आ गई।
- असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की राजस्व रिकॉर्ड में नम्बर कायमी आवंटन आदेश अनुसार होनी अपेक्षित है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की नम्बर कायमी आवंटन आदेश के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जरीये असालतन—वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी की तरमीम आवंटन आदेश अनुसार लट्ठा ट्रेस में सही की गई है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी उसी अनुसार वर्तमान में मौके पर काबिज काश्त हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम आवंटन आदेश के आधार पर दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम हाल राजस्व नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में विवादित आराजी का हाल राजस्व नक्शा इस प्रकार हैः—

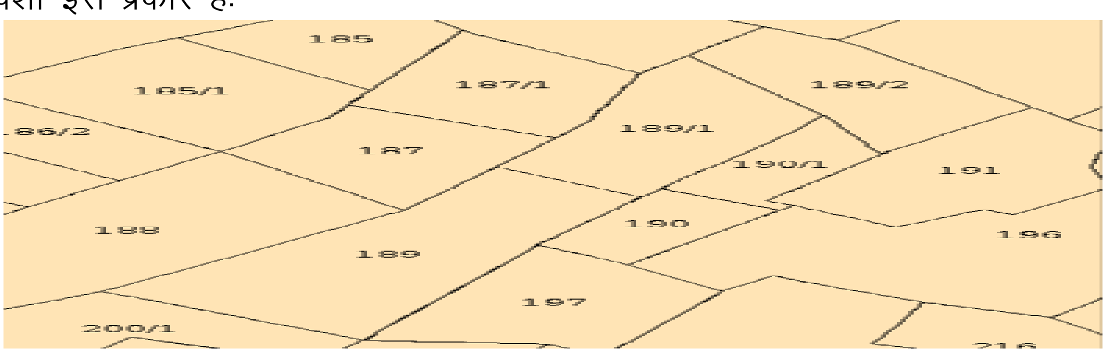

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:04 IST
Reason: SelfAttested

5. उक्त हाल राजस्व नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 189 / 1 मौजा डांगरिया तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 189 मौजा डांगरिया पडोस में अवस्थित है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 2381 दिनांक 03.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 2381 दिनांक 03.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

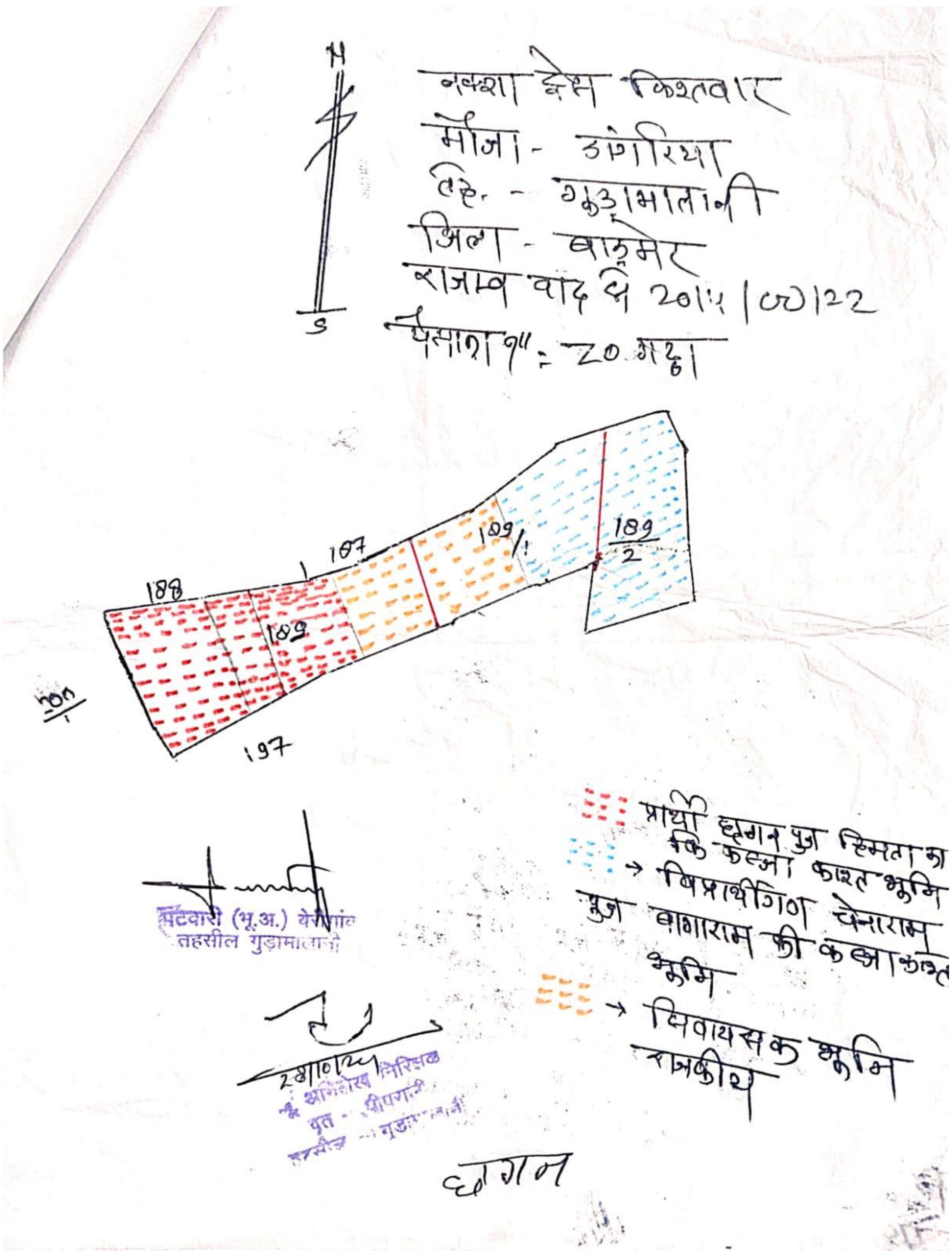

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:04 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/2381 दिनांक 03.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

1. मौका मुआयना करने पर वर्तमान राजस्व नक्शा व मौका कब्जा काश्त में भिन्नता पाई गई।
2. प्रार्थी छगन पुत्री हिमताराम का कब्जा काश्त वर्तमान राजस्व नक्शा में दर्ज खसरा संख्या 189 में पाया गया जबकि अप्रार्थी चेनाराम पुत्र बागाराम का कब्जा काश्त वर्तमान भू—राजस्व नक्शा के खसरा संख्या 189/1 व 189/2 में पाया गया।
3. पूछताछ करने पर पाया कि प्रार्थीगण छगन पुत्री हिमता को आवंटन के समय मूल खसरा संख्या 189 के पश्चिमी भाग पर एवं अप्रार्थी चेनाराम पुत्र बागाराम को पूर्वी भाग पर कब्जा दिया गया था। लेकिन लिपिकीय त्रुटि से नक्शा लट्ठा (राजस्व नक्शा) में कब्जा विपरीत अंकन हो गया जो गलत है।
4. वर्तमान तरमीम को संलग्न नक्शा ट्रेस में कब्जा काश्त के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।
5. उपर्युक्त तरमीम प्रार्थीया छगन पुत्री हिमताराम के स्वर्गवास से पूर्व हिमताराम पुत्र बागाराम को आवंटन परामर्श कमेटी द्वारा दिनांक 26.10.1977 को खसरा संख्या 189/1 रकबा 18.15 बीघा मौजा डांगरिया आवंटन की गई। जिसकी तरमीम आवंटन सनद अनुसार नहीं की गई।
6. प्रार्थीया से सनद की प्रति मांगी गई। जो अनुपलब्ध होना बताया गया। प्रार्थीया के पिता हिमता पुत्र बागाराम भील सा0 डांगरिया के नाम दर्ज नामांतरकरण संख्या 170 स्वीकृत दिनांक 05.10.1978 की पुश्त पर तरमीम का अक्ष अंकन नहीं है।

7. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/2381 दिनांक 03.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थी का संयुक्त खातेदारी का मूल खसरा एक ही था। उक्त मूल खसरे के आवंटन के पश्चात की गई तरमीम से रिकॉर्ड में गलती हुई। उक्त राजस्व रिकॉर्ड व आवंटन आदेश की त्रुटि को दूर करने हेतु मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा सहमति व्यक्त की गई। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/2381 दिनांक 03.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू.अ./2024/2381 दिनांक 03.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:04 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 28.04.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:36:04 IST
Reason: SelfAttested